



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 345 राँची, सोमवार, 1 आषाढ़, 1948 (श०)
22 जून, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

4 जून, 2026

संख्या-3/आरोप-11-09/2025 का.-36721 (HRMS)--प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग से प्राप्त पत्रांक- 5, दिनांक- 22.01.2025 के द्वारा मो० शहजाद परवेज, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-223/20), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह के विरुद्ध गठित आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में मो० शहजाद परवेज के विरुद्ध मुख्यतः निम्न आरोप प्रतिवेदित किया गया:-

आरोप संख्या-1: अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी(गिरिडीह) के पद पर पदस्थापन के दौरान मो० शहजाद परवेज के द्वारा जिला भू-अर्जन कार्यालय, गिरिडीह के भू-अर्जन वाद संख्या- 13/1973-74 के द्वारा मौजा- इसरी बाजार के खाता संख्या-2 अन्तर्गत प्लॉट नं०- 547, खाता सं० 04 अन्तर्गत प्लॉट नं० 550 तथा खाता संख्या- 42 अन्तर्गत प्लॉट नं० 548 सहित कई अन्य खाता खेसरा की भूमि का अधिग्रहण NH Bypass निर्माण परियोजना अन्तर्गत किया गया। उक्त भूमि का मुआवजा का भुगतान संबंधित अवार्डी को दिया गया। उक्त भूमि का विक्रय दिनांक-10.09.2022 को किया गया तथा तदोपरांत उनके नामांतरण की स्वीकृति दाखिल खारिज वाद संख्या- 426/2022-23 द्वारा प्रदान की गयी ।

उक्त भूमि के संबंध में एवं उक्त भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ होने के संबंध में विधिवत सूचना होने के बावजूद भी मो0 शहजाद परवेज के द्वारा इसके भू-हस्तांतरण की कार्रवाई को प्रतिबंधित किये जाने का कोई प्रयास किया गया और न ही सम्पर्क पथ के Complete Stretched को कभी अतिक्रमण मुक्त कराये जाने की विधिवत कोई कार्रवाई की गयी ।

अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा अपेक्षित कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण उक्त भूमि के साथ-साथ पूर्व में कई अन्य भूमि के अनाधिकृत भू-हस्तांतरण के साथ-साथ उनके दाखिल खारिज वादों के निष्पादन की कार्रवाई होती रही। साथ ही उक्त भूमि पर अतिक्रमणकारियों की संख्या भी बढ़ती रही।

अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर दिये गये मौखिक निदेश मात्र के आधार पर विभिन्न स्तरों से अर्जित भू-भाग के भू-हितधारकों के भयादोहन का प्रयास किया गया, जिससे अतिक्रमणधारियों की संख्या में वृद्धि हुई और क्रेताओं का हित प्रभावित हुआ। इससे सरकार की लोक कल्याणकारी छवि प्रभावित होने के साथ-साथ भविष्य के लिए समस्याएं जटिल हुई ।

आरोप संख्या-2: मो0 शहजाद परवेज, अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह के द्वारा प्रदर्शित किये गये उक्त कृत्य में अनुमण्डल पदाधिकारी के पद की पूर्ण शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा में अभाव को प्रदर्शित किया गया, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1)(i) तथा (ii) के प्रतिकूल आचरण है ।

2. उक्त आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक- 1351, दिनांक- 06.03.2025 के द्वारा मो0 शहजाद परवेज से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

3. मो0 शहजाद परवेज के द्वारा आवेदन, दिनांक-17.03.2025 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें मुख्यतः निम्न तथ्य अंकित किया गया:-

(क) परियोजना निदेशक, NHA, धनबाद के पत्रांक- 1163, दिनांक-16.12.2022 के द्वारा उपायुक्त, गिरिडीह को श्री विमल कुमार के द्वारा लिंक पथ निर्माण हेतु समर्पित आवेदन दिनांक- 10.10.2022 के आलोक में कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया। उपायुक्त, गिरिडीह के द्वारा उक्त पत्र को अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी एवं भू-अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह को कार्रवाई हेतु पृष्ठांकित की गयी। उक्त के अनुपालन में आवेदन में अंकित भूमि का स्थलीय निरीक्षण कर उक्त भूमि का खाली रहने से संबंधित प्रतिवेदन एवं लिंक पथ निर्माण हेतु अनापत्ति कार्यालय पत्रांक- 1177(a) दिनांक- 23.12.2022 के माध्यम से परियोजना निदेशक, NHA, धनबाद को तथा कार्यालय पत्रांक 50 दिनांक- 16.01.2023 के माध्यम से उपायुक्त, गिरिडीह को प्रेषित किया गया ।

तत्पश्चात परिवादी श्री सुबोध कुमार के द्वारा दिनांक-23.05.2023 को आवेदन समर्पित कर उनके द्वारा विलेख दिनांक- 10.09.2022 के माध्यम से खरीदी गयी, भूमि पर परियोजना निदेशक, NHA, धनबाद द्वारा लगाये गये रोक के बावजूद उक्त भूमि पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु आवेदन समर्पित किया गया। उक्त स्थिति में परिवादी के द्वारा उक्त भूमि पर दावा किये जाने एवं भू-अर्जन संबंधित अभिलेख का अभिलेख जिला भू-अर्जन कार्यालय, गिरिडीह में संधारित रहने के कारण उक्त भूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी के पत्रांक- 669, दिनांक- 22.05.2023 के द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गिरिडीह एवं परियोजना निदेशक, NHA, धनबाद से उक्त भूमि के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु पत्राचार किया गया ।

उनके पदस्थापन अवधि के दौरान दिनांक- 03.11.2023 को परिवादी के द्वारा पुनः आवेदन समर्पित कर निर्माण की अनुमति मांगी तथा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। परिवादी के द्वारा उक्त भूमि पर निर्माण कार्य उनके अवकाश अवधि के दौरान प्रारंभ किया गया। उनके द्वारा मामला संज्ञान में आने पर संबंधित भूमि के संबंध में कार्रवाई प्रक्रियाधीन रहने के कारण परिवादी को समझा बुझाकर कार्य को स्थगित कराया गया। परिवादी के द्वारा कार्य स्थगित कर दिये जाने के कारण 144 दंप्र0सं0/163 बी0एन0एस0 अथवा लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम अन्तर्गत कार्रवाई नहीं की गयी। परिवादी को उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करने से रोकने का एकमात्र उद्देश्य पूर्व से जारी कार्यालय कार्रवाई को बरकरार रखते हुए सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि को संरक्षित करना था। उनके द्वारा इस संबंध में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से किया गया है।

ख) परियोजना निदेशक, NHAI, धनबाद के पत्रांक 1163 दिनांक- 16.12.2022 के आलोक में प्रतिवेदन परियोजना निदेशक, NHAI, धनबाद एवं उपायुक्त धनबाद को भेजा जा चुका था। परियोजना निदेशक, NHAI, धनबाद के द्वारा अधिग्रहित भूमि का नामांतरण विभाग के नाम से नहीं कराये जाने के कारण उक्त भूमि का विक्रय संभव हुआ। भूमि का विक्रय भी उनके पदस्थापन के पूर्व ही दिनांक- 10.09.2022 को हुआ था। उनके पदस्थापन अवधि के दौरान उक्त भूमि की खरीद-बिक्री नहीं हुई है।

(ग) ग्रामीणों के द्वारा दिनांक- 21.10.2024 के द्वारा समर्पित आवेदन के संबंध में अंकित किया गया है कि तत्समय झारखण्ड विधानसभा आम चुनाव 2024 के तहत 33-डुमरी विधानसभा चुनाव में वे निर्वाची पदाधिकारी थे। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के कारण व्यस्त रहने के वजह से उनके द्वारा आम परिवाद प्राप्त होने पर अधोहस्ताक्षरी के द्वारा वाट्सअप पर थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया।

(घ) परियोजना निदेशक, NHAI, धनबाद के द्वारा अधूरी सूचना उपलब्ध कराये जाने के कारण अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया जाना एवं कार्रवाई किया जाना विधिक रूप से संभव नहीं था। इस संबंध में पत्रांक- 1103, दिनांक- 02.12.2024 के द्वारा अंचल अधिकारी, डुमरी से प्रतिवेदन की मांग की गयी। पुनः परियोजना निदेशक, NHAI, धनबाद से प्राप्त पत्रांक- 694, दिनांक- 23.12.2024 के आलोक में पत्रांक- 1200, दिनांक- 24.12.2024 द्वारा उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अंचल अधिकारी, डुमरी को निदेशित किया गया। इस संबंध में उनके द्वारा समय समय पर अपेक्षित कार्रवाई की गयी है।

(ङ) उनके पदस्थापन काल में अतिक्रमणकारियों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है और न ही किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का अवसर प्रदान किया गया है। उनके द्वारा एक अधिग्रहित भूमि पर अतिक्रमण रोकने के प्रयास से सरकार के लोक कल्याणकारी छवि को बरकरार रखा गया है।

(च) NHAI, के द्वारा अधिग्रहित भूमि पर ससमय कार्य नहीं किये जाने कारण अतिक्रमण हुआ। साथ ही अधिग्रहित भूमि का नामांतरण विभाग के नाम पर कराने के संबंध में भी ससमय कार्रवाई नहीं किया गया, जिससे भूमि का हस्तांतरण एवं नामांतरण संभव हुआ।

(छ) समर्पित परिवाद की जाँच हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त, उतरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के द्वारा त्रिस्तरीय समिति के द्वारा कराये गये जाँच के उपरांत समर्पित जाँच प्रतिवेदन में उनके पक्ष को नहीं दर्शाया गया तथा मात्र परिवादी के पक्ष को दर्शाते हुए आरोप पत्र गठित किया गया। यहाँ उल्लेखनीय है कि परिवादी के द्वारा संबंधित सरकारी कार्यालय को गुमराह कर जमीन का क्रय किया गया तथा निर्माण का

प्रयास किया गया। उनके द्वारा परिवादी को अधिग्रहित भूमि पर बार-बार निर्माण कार्य से रोका गया, अतएव उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया जाना एक पक्षीय कार्रवाई की ओर इशारा करता है।

(ज) उनके द्वारा किये गये कार्यों के आधार पर पूर्व कार्यालयों में पदस्थापन के दौरान वार्षिक व्यक्तिगत कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट में उत्कृष्ट अंक प्रदान किया जाता रहा है। अतएव उनका कृत्य सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1)(i) तथा (ii) के अनुकूल आचरण है। समर्पित दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि केवल परिवादी से प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में उनके विरुद्ध आरोप लगाना बिल्कुल ही निराधार है।

अतएव मेरे स्पष्टीकरण को सम्यक विचार करते हुए आयुक्त महोदय, उत्तरी छोटानागपुर के द्वारा उनके विरुद्ध गठित निराधार आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

4. विभागीय पत्रांक- 3103, दिनांक-27.05.2025 के द्वारा मो0 शहजाद परवेज के स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गिरिडीह से मंतव्य की मांग की गयी।

5. उपायुक्त, गिरिडीह के पत्रांक-709, दिनांक-01.08.2025 के द्वारा मो0 शहजाद परवेज के स्पष्टीकरण पर आरोपवार निम्नवत् मंतव्य उपलब्ध कराया गया:-

(क) संबंधित भूमि के अधिग्रहण की स्थिति स्पष्ट करने हेतु संबंधित कार्यालय से किये गये पत्राचार के आलोक में तथा जाँच कार्य पूर्ण होने तक परिवादी को निर्माण कार्य करने से रोकने का मौखिक आदेश दिया गया था।

(ख) इनके पदस्थापन काल में उक्त अधिग्रहित भूमि को अतिक्रमण करने से रोका गया है। एक अधिग्रहित भूमि का अतिक्रमण रोकने में इनके द्वारा किसी प्रकार का भयादोहन करना प्रतीत नहीं होता है।

(ग) परिवादी के द्वारा जब-जब कार्य प्रारंभ किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा कार्य को रोकने हेतु थाना प्रभारी एवं अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया।

(घ) अधिग्रहित भूमि की अतिक्रमण की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत मो0 शहजाद परवेज के द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की गयी है तथा इनके द्वारा अतिक्रमण रोकने का कार्य किया गया है।

(ङ) मो0 शहजाद परवेज के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत उपायुक्त, गिरिडीह के द्वारा मंतव्य अंकित किया गया है कि इनके द्वारा अपने कर्तव्य एवं दायित्व के प्रति प्रतिकूल आचरण प्रथम दृष्टया नहीं किया गया। इस प्रकार मो0 शहजाद परवेज, तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह के द्वारा इस मामले में सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम 3(1)(i) तथा (ii) के आलोक में अनुपालन किया गया है।

6. मो0 शहजाद परवेज के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों, उक्त के संबंध में मो0 शहजाद परवेज से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा उक्त स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, गिरिडीह से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, मो0 शहजाद परवेज के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप से मो0 शहजाद परवेज, झा0प्र0से0(कोटि क्रमांक- 223/20), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

7. अतः समीक्षोपरान्त, प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पत्रांक-05, दिनांक- 22.01.2025 के द्वारा मो0 शहजाद परवेज के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप से मो0 शहजाद परवेज, झा0प्र0से0(कोटि क्रमांक-223/20), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह को आरोप मुक्त किया जाता है।

8. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति मो० शहजाद परवेज, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-223/20) एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MD SHAHJAD PERWEZ 110081165697	समीक्षोपरान्त, प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पत्रांक-05, दिनांक- 22.01.2025 के द्वारा मो० शहजाद परवेज के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोप से मो० शहजाद परवेज, झा०प्र०से०(कोटि क्रमांक-223/20), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी, गिरिडीह को आरोप मुक्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
